न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/09

1. कन्हैया लाल आयु 47 वर्ष पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. गिर्राज प्रसाद आयु 45 वर्ष पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. महेन्द्र कुमार आयु 32 वर्ष पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. गोपाल आयु 62 वर्ष पुत्र मन्ना लाल जाति मीणा निवासी रघुनाथुपरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. चतुर्भुज आयु 64 वर्ष पुत्र मन्नालाल जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. रामरतन आयु 52 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
4. राजेन्द्र आयु 42 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
5. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कृष्ण दत्त दाधीच, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 16.03.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.10.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत ग्राम रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी की आराजी कुल किता 08 की कुल रकबा 6.00 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण को समान रूप से 1/3 – 1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जावे एवं उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे ।

त्पश्चात् पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.02.2017 को लिखित में राजीनामा पेश कर उक्त लिखित राजीनामा वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया । उक्त राजीनामा को उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी द्वारा तस्दीक किया गया और पक्षकारान की पहचान उनके अभिभाषकगण द्वारा की गई ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 13.10.2017 के पक्षकारान के मध्य प्रस्तुत लिखित राजीनामा को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.10.2017 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट पक्षकारान में प्रस्तुत लिखित राजीनामा अनुसार स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश कर दिये जाने के बाद प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण को आश्वस्त कर भेज दिया और आवश्यकता होने पर सूचित करने के लिए बोल दिया था परन्तु उक्त आदेश की उनके अभिभाषक द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई । उक्त निर्णय सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में जाकर जानकारी करने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. प्रस्तुत अपील में उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण ने पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत लिखित राजीनामा अनुसार अपील का निस्तारण करने का निवेदन किया और साथ ही निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य प्रस्तुत हुए राजीनामा को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने पुराने एवं नये खसरा नम्बरान का उचित मिलान होने के बावजूद भी मिलान को संदेहास्पद मानने में त्रुटि की है । अपीलान्ट ने अपने वाद में पूर्व खातेदार को कोई वारिस नहीं होना अंकित कर उसे साबित किया है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक खातेदारान के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाने की बात लिखकर वाद खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर पक्षकारान के मध्य हुए लिखित राजीनामा अनुसार अपील का निस्तारण किया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में पुराने एवं नये खसरा नम्बरान का उचित मिलान नहीं होना मानते हुए मिलान को संदेहास्पद मानने में त्रुटि की है । हमने अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित राजीनामा का अवलोकन किया । उक्त राजीनामा पक्षकारान द्वारा लोक अदालत की भावनाओं से प्रेरित होकर प्रस्तुत किया जाना निवेदन किया और साथ ही निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मोत्या आत्मज देवा जाति मीणा के खातेदारी में दर्ज थी जिसने रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के माध्यम से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा उनकी संयुकत आय से प्रतिवादी कम 2 ने कर्ता खानदान की हैसियत

क्रय किया था और सम्पूर्ण प्रतिफल राशि भी वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 की संयुक्त आय से अदा की गई थी लेकिन कानूनी पेचिदियों से बचने के लिए वादग्रस्त आराजी के विक्रय पत्रों का प्रतिवादी क्रम 2, प्रतिवादी क्रम 1 तथा प्रतिवादी क्रम 3 से 4 के पिता हीरालाल के नाम से पंजीयन करवा दिया गया जबकि प्रतिवादी क्रम 1 व प्रतिवादी क्रम 3 से 4 के पिता हीरालाल द्वारा पूर्व खातेदार मोत्या आत्मज देवा को कोई प्रतिफल राशि अदा नहीं की गई । वादग्रस्त आराजी पर खातेदार की हैसियत से दिनाक 31.07.1971 से आज तक कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की जानकारी में चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी को वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 की संयुक्त आय से क्रय करने के कारण वादीगण का कानूनन हक, अधिकार विक्रय की दिनांक से ही निहित हो गये हैं जिसकी घोषणा कराने का वैधानिक अधिकार वादीगण को प्राप्त है। वादग्रस्त आराजी के खातेदार मोत्या आत्मज देवा की मृत्यु हो गई है उसके कोई वारिस वर्तमान में जीवित नहीं है तथा विक्रय की दिनांक के बाद मोत्या आत्मज देवा की हैसियत खातेदार कृषक की नहीं है । वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर पूर्व खातेदार मोत्या आत्मज देवा का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित करने का आदेश पारित किया जावे ।

10. हम पक्षकारान के मध्य अधीनस्थ न्यायालय में हुए लिखित राजीमाने को ध्यान में रखते हुए उक्त राजीनामा को स्वीकार करते हुए राजीनामा अनुसार डिक्री पारित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.10.2017 निरस्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित राजीनामे को स्वीकार करते हुए राजीनामा अनुसार आराजी खसरा नम्बर 305 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 306 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 320 रकबा 4.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 321 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 432 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 440 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 484 रकबा 0.24 हैक्टर कुल किता 08 कुल रकबा 6.00 हैक्टर वाके ग्राम रघुनाथपुरा का वादीगण अपीलान्ट को बहिस्सा बराबर–बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है । उक्तानुसर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किये जाने का आदेश पारित किया जाता है । पूर्व खातेदार मोत्या आत्मज देवा का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे ।

12. निर्णय आज दिनांक 16.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/09

1. कन्हैया लाल आुय 47 वर्ष पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. गिर्राज प्रसाद आयु 45 वर्ष पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. महेन्द्र कुमार आयु 32 वर्ष पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. गोपाल आयु 62 वर्ष पुत्र मन्ना लाल जाति मीणा निवासी रघुनाथुपरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
2. चतुर्भुज आुय 64 वर्ष पुत्र मन्नालाल जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
3. रामरतन आुय 52 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
4. राजेन्द्र आयु 42 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
5. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.10.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 59/दावा/2016

1. कन्हैया लाल आुय 47 वर्ष पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. गिर्राज प्रसाद आयु 45 वर्ष पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

महेन्द्र कुमार आयु 32 वर्ष पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. गोपाल आयु 62 वर्ष पुत्र मन्ना लाल जाति मीणा निवासी रघुनाथुपरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
2. चतुर्भुज आुय 64 वर्ष पुत्र मन्नालाल जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
3. रामरतन आुय 52 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
4. राजेन्द्र आयु 42 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
5. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.10.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 16.03.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री कृष्णदत्त दाधीच एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री धीरेन्द्र मालव के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.10.2017 निरस्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित राजीनामे को स्वीकार करते हुए राजीनामा अनुसार आराजी खसरा नम्बर 305 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 306 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 320 रकबा 4.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 321 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 432 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 440 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 484 रकबा 0.24 हैक्टर कुल किता 08 कुल रकबा 6.00 हैक्टर वाके ग्राम रघुनाथपुरा का वादीगण अपीलान्ट को बहिस्सा बराबर–बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है । उक्तानुसर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किये जाने का आदेश पारित किया जाता है । पूर्व खातेदार मोत्या आत्मज देवा का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिक्री आज तारीख 16.03.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा